संख्याः791 /XXIV-3/17/02(66)2011

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 30 जून, 2017

विषयः– रमसा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजना (IEDSS) के अनावर्तक मदों में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,6

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः अर्थ–1/5912/5क–1/(09)/2017–18, दिनांकः 29 मई, 2017 के संदर्भ में तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः F.No. 1-12/2017-RMSA-III(GEN), दिनांकः 26 अप्रैल, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजना **(Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage)** के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत कुल केन्द्रांश रू0 17.57 लाख की धनराशि संलग्न **परिशिष्ट–'अ'** की तालिका के अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षकों की मानक मदों में चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निवर्तन पर रखते हुये नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत आगणनों का सक्षम/निर्धारित स्तर से परीक्षण कराकर तकनीकी व वित्तीय अनुमोदनोपरांत ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली के सुसंगत नियमों की अनुपालन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित की जाय तथा कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया जाएगा।

2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/**xiv**–219(2006), दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

5. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण कर धनराशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 312/3(150) XXVII(1)2017 दिनांकः 31 मार्च, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत की जाने वाली धनराशि से आंगणन में प्राविधानित समस्त कार्यों को पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 3 31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 02– माध्यमिक शिक्षा के अ र्गत सं परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 312/3(150) XXVII(1)2017 दिनांकः 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्याः 516/3(150) XXVII(1)2017, दिनांकः 25 मई, 2017 प्रदत्त व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 791 /XXIV-3/17/02(66)2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अनु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3– राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23– लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(महिमा)
उप सचिव।

'परिशिष्ट–अ'

शासनादेश संख्या:791 /XXIV-3/17/02(66)2011, दिनांक:30 जून, 2017 का संलग्नक:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	केन्द्रांश
1.	11	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0103–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA 90 प्रति.के.स.)	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	12.07
2.	30	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	4.24
3.	31	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 800–अन्य व्यय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	1.26
	योग			17.57

कुल धनराशि रूपये 17.57 लाख (रूपये सत्रह लाख सत्तावन हजार मात्र)

(महिमा)
उप सचिव।